ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 12, Issue 4, April 2022 Impact Factor 8.049 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

स्नातक स्तर अनुसूचित, पिछड़े एवं सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता स्थान के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन।

गीता, शोधकर्ती: शिक्षा विभाग, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ।

सारांशः—

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्नातक स्तर अनुसूचित, पिछड़े एवं सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता स्थान के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में मेरठ मण्डल के (02) जिलों में से मेरठ व बागपद जिलों को चयनित किया गया। उपकरण के रूप में 'मानवाधिकार जागरूकता' मापन हेतु डा0 विशाल सूद एवं आरती आनन्द, द्वारा निर्मित प्रमाणिक उपकरण का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के विश्लेषण प्राप्त करने के लिए सॉख्यिकीय विधि द्वारा मध्यमान, मानक विचलन, टी—परीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। स्नातक स्तर अनुसूचित, पिछड़े एवं सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता स्थान के आधार पर विश्लेषणात्मक परिणाम में कोई सार्थक अन्तर नही है।

प्रस्तावनाः—

मानवाधिकार शिक्षा, मूल्यों, विश्वासों और अपने स्वयं के अधिकारों और दूसरे लोगों को बनाये रखने के लिए व्यक्तियों के द्वारा किये गये व्यवहार को बढ़ावा देता है। मानव अधिकारों का अर्थ किसी देश के द्वारा दिये जाने वाले अपने नागरिकों का अधिकार है यह विशेष प्रकार के अधिकार होते हैं। जिनके आधार पर मानव का अधिकतम विकास करने की ओर बल दिया जाता है। देश का सफल नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकार भी होने चाहिए जिस प्रकार यदि बालक को अपने परिवार में रहकर भी अपना विकास नहीं होता है उसी प्रकार यदि देश में नागरिकों को अधिकार प्रदान न किये जाये तो निश्चय ही देश में रहकर भी व्यक्ति द्वारा भली—भांति अपना विकास नहीं कर सकेगा।मानव अधिकार के अन्तर्गत उन सभी परिस्थितियों का समावेश उपस्थित हो जाता है जिनमें व्यक्ति को अपनी अन्तः निहित योग्यताओं का विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है जिसकी प्राप्ति उसे प्रकृति के द्वारा होती है। प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है तथा सभी को समान रूप से वातावरण प्रदान किया है जिसमें वह भली—भांति अपना विकास कर सके इसलिए व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता का हनन करना किसी राज्य के हाथ में नही होना चाहिए। मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसम्बर सन् 1948 में की गई थी। जिसके अन्तर्गत यह वर्णित किया गया कि देश में रहने वाले नागरिकों

की प्राकृतिक स्वतंत्रता का हनन किसी भी देश के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी देश विशेष के द्वारा अपने नागरिकों पर किसी प्रकार का जुर्म नहीं किया जाएगा। नागरिकों के सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों समेत अनेक प्रकार के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया जिनके आधार पर नागरिकों द्वारा अपना भली–भांति विकास किया जा सके।

पूर्व में किये गये शोध से सम्बन्धित अध्ययन के लिए, सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन के लिए, सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन का प्रयास किया गया है। सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन में भारतीय अध्ययन व जर्नल्स का अध्ययन किया है:–**सत्यनारायण. (2018) ने** अपने अध्ययन में पाया कि सरकारी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता उच्च स्तर का होता है। **नामदियो, आर0 पुष्पा. (2019) ने** अपने अध्ययन में पाया कि उच्च स्तर विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता पर लिंगो का सार्थक प्रभाव पड़ता है। **श्रीलता, गोली. (2019) ने** अपने अध्ययन में पाया कि स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग विद्यार्थियों (छात्र एवं छात्राओं) में कोई सार्थक अन्तर नही है। **काटोच, सुमन. (2021) ने** अपने अध्ययन में पाया कि महिला शिक्षक प्रशिक्षुओं का मानवाधिकार जागरूकता का स्तर अच्छा होता है एवं माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक प्रशिक्षुओं का मानवाधिकार जागरूकता का स्तर उच्च होता है। **रानी, सुषमा. (2021) ने** अपने अध्ययन में पाया कि बी0एड0 कॉलेज के ग्रामीण विद्यार्थियों में मानवाधिकार जागरूकता ज्यादा पाया गया एवं बी0एड0 कॉलेज के ग्रामीण छात्राओं में मानवाधिकार जागरूकता उच्च स्तर का होता है।

अध्ययन की आवश्यकता:–

मानव को मानव अधिकारों के आधार पर अपना सर्वांगीण विकास करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जिससे सभी मानव अच्छे प्रकार से अपनी योग्यताओं का विकास कर सके तथा अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं से भी अच्छी तरह निपट सके। जब तक हर नागरिकों को अपनी अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान नही की जा सकती है तब तक उनके द्वारा अपना विकास किया जाना पूर्ण नहीं माना जा सकता। आज देश में रहने वाले सभी नागरिकों को पूर्ण रूप से शिक्षित एवं जागरूक करने की ओर अग्रसर किया जा रहा है जिससे वह अपना विकास कर सके। आज भारत में समानता का आधार भी अपनाया गया है जिससे देश में उन नागरिकों को उन्नति करने का अधिकार प्रदान किया जा रहा है जो देश में बहुत अधिक पिछड़े हैं इसलिये मै कथन समस्या का अध्ययन कर रही हूँ।

अध्ययन की समस्या:–

''स्नातक स्तर अनुसूचित, पिछड़े एवं सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता स्थान के आधार पर विश्लेषणात्मक अध्ययन।''

अध्ययन के उद्देश्यः–

- स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।
- स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।
- स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन की परिकल्पनाऐंः–

- स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्याार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता के विश्लेषण परिणाम में कोई सार्थक अन्तर नही है।
- स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्याार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता के विश्लेषण परिणाम में कोई सार्थक अन्तर नही है।
- स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्याार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता के विश्लेषण परिणाम में कोई सार्थक अन्तर नही है।

अध्ययन की परिसीमाएंः–

(i) प्रस्तुत अध्ययन केवल मेरठ मण्डल तक है।

(ii) शोध अध्ययन में स्नातक के विद्यार्थियों को ही सम्मिलित किया गया है।

शोध विधिः–प्रस्तुत शोध अध्यन को पूर्ण करने के लिए सर्वेक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के चरणों का अनुसरण किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्शः–

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी ने सम्भावित न्यादर्श विधि का प्रयोग करते हुए जनसंख्या से न्यादर्श प्राप्त करने हेतु यादृच्छिक विधि के लाटरी विधि का प्रयोग करते हुए मेरठ मण्डल के (02) जिलों को चयनित किया गया एवं दोनों जिलों में से ऐसे महाविद्यालय चयनित किये गये जिसमें स्नातक स्तर के कक्षाऐं संचालित की जाती थी। उद्देश्यपूर्ण विधि का प्रयोग करते हुए चयनित मेरठ बागपद जिलों में से प्रत्येक जिलों में से (10) ग्रामीण क्षेत्र के स्नातक महाविद्यालय एवं (10) शहरी क्षेत्र के स्नातक महाविद्यालय को यादृच्छिक विधि से चयनित कर प्रत्येक स्नातक महाविद्यालयों से आकस्मिक न्यादर्श विधि का प्रयोग

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 12, Issue 4, April 2022 Impact Factor 8.049 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

करते हुए (09) छात्र एवं (09) छात्राऐं जिसमें (03) अनुसूचित, (03) पिछड़े व (03) सामान्य जाति के विद्यार्थियों को लिया गया है। इस तरह से यह अध्ययन कुल 720 स्नातक विद्यार्थियों से पूर्ण किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या :–

सारणी–1

स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

कारक	संख्या	अनुसूचित जाति विद्यार्थी	प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ो का औसतमान	प्रमाणिक त्रुटि	't' प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम	औसत प्राप्तांक के आधार पर प्रश्नावली के मैनुवल से प्राप्त 'z' प्राप्तांक	मानवाधिकार का स्तर
मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान	120	ग्रामीण	10.03	4.37	0.38	हाँ	–0.49	सामान्य
	120	शहरी	7.24				–1.71	निम्न
मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा	120	ग्रामीण	20.51	0.34	3.41	हाँ	+0.22	सामान्य
	120	शहरी	19.35				–0.06	सामान्य
मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति	120	ग्रामीण	31.7	0.66	5.46	हाँ	–0.92	सामान्य से नीचे
	120	शहरी	28.09				–1.43	निम्न

स्वतंत्रता अंश 239 सार्थक स्तर .05 एवं .01 सारणी मान 1.97 एवं 2.60

उपर्युक्त सारणी के माध्यम से स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता के स्तर का विश्लेषण करते हुए अन्तर की सार्थकता ज्ञात की गई है जिसमें मानवाधिकार के कारक मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान, मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा, मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर 120 ग्रामीण एवं 120 शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के प्राप्तांको का औसत प्राप्तांक क्रमशः ग्रामीण 10.03, 20.51, 31.7 एवं शहरी 7.24, 19.35, 28.09 प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर प्रमाणित त्रुटि ज्ञात की गई जो कारक नं0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय का क्रमशः .437, 0.34, 0.66 प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर 't' प्राप्तांक ज्ञात किया गया जो क्रमशः 6.38, 3.41, 5.46 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर सार्थकता जाँच की गई जो मानवाधिकार जागरूकता के तीनों कारकों मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान, ज्ञान एवं बोध की अवधारणा, कानून एवं कानूनी बोधात्मक स्थिति पर गणनात्मक मान स्वतंत्रता अंश 239 के सार्थकता 0.01 स्तर के सारणी मान 2.60 से ज्यादा प्राप्त हुआ। अतः परिकल्पना (1) को निरस्त करते हुए शोधकर्त्री इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि कारक नं0 (1) मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों के ज्ञान पर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त सार्थक अन्तर है जिसमें शहरी विद्यार्थियों से ग्रामीण विद्यार्थियों का प्रलेखों का ज्ञान ज्यादा है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार प्रलेखों के ज्ञान के आधार पर शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का निम्न और ग्रामीण अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का सामान्य स्तर प्राप्त हुआ। कारक नं0 (2) ज्ञान एवं बोध की अवधारणा पर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त सार्थक अन्तर है। जिसमें शहरी विद्यार्थियों से ग्रामीण विद्यार्थियों के ज्ञान एवं बोध की अवधारणा ज्यादा है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार ज्ञान एवं बोध की अवधारणा पर शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का सामान्य एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का भी सामान्य स्तर प्राप्त हुआ। इसी आधार पर कारक नं0 (3) कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त सार्थक अन्तर जिसमें शहरी विद्यार्थियों से ग्रामीण विद्यार्थियों के कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति ज्यादा है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर ग्रामीण अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का सामान्य से नीचे एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का निम्न स्तर प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार से सम्बन्धित कारक प्रलेखों का ज्ञान, ज्ञान एवं बोध की अवधारणा, कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति के मध्य 99% विश्वास के साथ सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ, जिसमें शहरी अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की अपेक्षा ग्रामीण अनुसूचित जाति विद्यार्थियों का मानवाधिकार जागरूकता स्तर अच्छा होता है।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 12, Issue 4, April 2022 Impact Factor 8.049 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

सारणी–2

स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

कारक	संख्या	पिछड़े जाति विद्यार्थी	प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ो का औसतमान	प्रमाणिक त्रुटि	't' प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम	औसत प्राप्तांक के आधार पर प्रश्नावली के मैनुवल से प्राप्त 'z' प्राप्तांक	मानवाधिकार का स्तर
मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान	120	ग्रामीण	10.38	0.33	3.84	हाँ	–0.34	सामान्य
	120	शहरी	11.65				+0.15	सामान्य
मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा	120	ग्रामीण	18.66	0.38	8.78	हाँ	+0.34	सामान्य
	120	शहरी	22				+0.65	सामान्य से ऊपर
मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति	120	ग्रामीण	32.15	0.48	0.43	नहीं	–0.84	सामान्य से नीचे
	120	शहरी	32.36				–0.84	सामान्य से नीचे

स्वतंत्रता अंश 239 सार्थक स्तर .05 एवं .01 सारणी मान 1.97 एवं 2.60

उपर्युक्त सारणी के माध्यम से स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता के स्तर का विश्लेषण करते हुऐ अन्तर की सार्थकता ज्ञात की गई है जिसमें मानवाधिकार के कारक मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान, मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा, मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून एवं गैरकानूनी बोधात्मक स्थिति पर 120 ग्रामीण एवं 120 शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों के प्राप्तांको का औसत प्राप्तांक क्रमशः 10.38, 18.66, 32.15 एवं शहरी 11.65, 22, 32,36 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर प्रमाणिक त्रुटि ज्ञात की गई का कारक नं0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय का क्रमशः 0.33, 0.38, 0.48 प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर 't' प्राप्तांक ज्ञात किया गया जो क्रमशः 3.84, 8.78, 0.43 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर सार्थकता जाँच की गई जो मानवाधिकार जागरूकता के

दोनों कारकों मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान व मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा पर गणनात्मक मान स्वतंत्रता अंश 239 के सार्थकता 0.01 स्तर के सारणी मान 2.60 से ज्यादा प्राप्त हुआ, वहीं पर मानवाधिकार जागरूकता का कारक मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर गणनात्मक मान स्वतंत्रता अंश 239 के सार्थकता 0.05 स्तर के सारणी मान 1.97 से कम प्राप्त हुआ। अतः परिकल्पना (2) को निरस्त करते हुए शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि कारक नं0 (1) मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों के ज्ञान पर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति के विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त सार्थक अन्तर है जिसमें ग्रामीण विद्यार्थियों से शहरी विद्यार्थियों के ेका प्रलेखों का ज्ञान ज्यादा है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार प्रलेखों के ज्ञान के आधार पर ग्रामीण पिछड़े विद्यार्थियों का सामान्य और शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों का भी सामान्य स्तर प्राप्त हुआ। कारक नं0 (2) मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा पर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त सार्थक अन्तर है। जिसमें ग्रामीण विद्यार्थियों से शहरी विद्यार्थियों के ेकी ज्ञान एवं बोध की अवधारणा ज्यादा है। प्रश्नावली के मैनुवल के 'z' प्राप्तांकों के अनुसार ज्ञान एवं बोध की अवधारणा पर ग्रामीण पिछड़े जाति विद्यार्थियों का सामान्य और शहरी पिछड़े जाति का सामान्य से ऊपर का स्तर प्राप्त हुआ। इसी आधार पर कारक नं0 (3) कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है जिसमें ग्रामीण व शहरी विद्यार्थियों के ेका कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति लगभग समान है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों दोनों का सामान्य से नीचे का स्तर प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार से सम्बन्धित कारक प्रलेखों का ज्ञान व ज्ञान एवं बोध की अवधारणा के मध्य 99% विश्वास के साथ सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ जिसमें ग्रामीण पिछड़े जाति विद्यार्थियों की अपेक्षा शहरी पिछड़े जाति विद्यार्थियों का मानवाधिकार जागरूकता स्तर अच्छा होता है।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 12, Issue 4, April 2022 Impact Factor 8.049 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

सारणी–3

स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

कारक	संख्या	सामान्य जाति विद्यार्थी	प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ो का औसतमान	प्रमाणिक त्रुटि	't' प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम	औसत प्राप्तांक के आधार पर प्रश्नावली के मैनुवल से प्राप्त 'z' प्राप्तांक	मानवाधिकार का स्तर
मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान	120	ग्रामीण	8.21	**0.34**	**10.47**	**हाँ**	–1.35	निम्न
	120	शहरी	11.77				+0.22	सामान्य
मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा	120	ग्रामीण	18.48	**0.42**	**0.14**	**नहीं**	–0.27	सामान्य
	120	शहरी	18.54				–0.20	सामान्य
मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति	120	ग्रामीण	28.51	**0.58**	**6.29**	**हाँ**	–1.35	निम्न
	120	शहरी	32.16				–0.84	सामान्य से नीचे

स्वतंत्रता अंश 239 सार्थक स्तर .05 एवं .01 सारणी मान 1.97 एवं 2.60

उपर्युक्त सारणी के माध्यम से स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता के स्तर का विश्लेषण करते हुऐ अन्तर की सार्थकता ज्ञात की गई है जिसमें मानवाधिकार के कारक मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान, मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा, मानवाधिकार से सम्बन्धित कानून एवं गैरकानूनी बोधात्मक स्थिति पर 120 ग्रामीण एवं 120 शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत प्राप्तांक क्रमशः ग्रामीण 8.21, 18.48, 28.51 एवं शहरी 11.77, 18.54, 32.16 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर प्रमाणिक त्रुटि ज्ञात की गई जो कारक नं0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय का क्रमशः 0.34, 0.42, 0.58 प्राप्त हुआ। जिसके आधार पर 't' प्राप्तांक ज्ञात किया गया जो क्रमशः 10.47, 6.29 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर सार्थकता की जाँच की गई जो मानवाधिकार जागरूकता के दोनों कारको मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों का ज्ञान व कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर गणनात्मक मान स्वतंत्रता अंश 239 के सार्थकता 0.01 स्तर सारणी मान 2.60 से ज्यादा प्राप्त हुआ, वहीं पर

't' प्राप्तांक 0.14 प्राप्त हुआ जिसके आधार पर सार्थकता जाँच की गई जो मानवाधिकार जागरूकता का कारक मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा पर गणनात्मक मान स्वतंत्रता अंश 239 के सार्थकता स्तर 0.05 स्तर के सारणी मान 1.97 से कम प्राप्त हुआ। अतः परिकल्पना (3) को निरस्त करते हुए शोधार्थी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि कारक नं0 (1) मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रलेखों के ज्ञान पर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त सार्थक अन्तर है जिसमें ग्रामीण विद्यार्थियों से शहरी विद्यार्थियों का प्रलेखों का ज्ञान ज्यादा है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार प्रलेखों के ज्ञान के आधार पर ग्रामीण सामान्य जाति विद्यार्थियों का निम्न और शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों का सामान्य स्तर प्राप्त हुआ। कारक नं0 (2) मानवाधिकार से सम्बन्धित ज्ञान एवं बोध की अवधारणा पर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के मध्य कोई सार्थक नहीं अन्तर है जिसमें ग्रामीण विद्यार्थियों व शहरी विद्यार्थियों की ज्ञान एवं बोध की अवधारणा समान है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार ज्ञान एवं बोध के आधार पर ग्रामीण व शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों दोनों का सामान्य स्तर प्राप्त हुआ। इसी आधार पर कारक नं0 (3) कानूनी एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति पर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के मध्य पर्याप्त सार्थक अन्तर पाया गया जिसमें ग्रामीण विद्यार्थियो से शहरी विद्यार्थियों का कानूनी एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति ज्यादा है। प्रश्नावली के मैनुवल 'z' प्राप्तांकों के अनुसार कानूनी एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति के आधार पर ग्रामीण सामान्य जाति विद्यार्थियों का निम्न और शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों का सामान्य से नीच का स्तर प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्नातक स्तर ग्रामीण एवं शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों के मानवाधिकार से सम्बन्धित कारक प्रलेखों का ज्ञान व कानून एवं गैर कानूनी बोधात्मक स्थिति के मध्य 99% विश्वास के साथ सार्थक अन्तर प्राप्त हुआ जिसमें ग्रामीण सामान्य जाति विद्यार्थियों की अपेक्षा शहरी सामान्य जाति विद्यार्थियों का मानवाधिकार जागरूकता स्तर अच्छा होता है।

अध्ययन के निष्कर्ष एवं निहितार्थ :–

(1) विभिन्न जाति स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी जिससे यह पता चल सकेगा कि किस वर्ग के विद्यार्थी मानवाधिकार के प्रति जागरूक हैं।

(2) समाज के विभिन्न वर्गो के विद्यार्थियों से इस अध्ययन के द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने अधिकार के प्रति सहज एवं जागरूक हों।

(3) जिस वर्ग विशेष के स्नातक स्तर विद्यार्थियों के मानवाधिकार जागरूकता की स्थिति निम्न पायी जायेगी उस वर्ग के लिए विशेष अभियान चलाकर जागरूकता के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

(1) औगन्दर,एस.(2002). मानवाधिकार के विश्व सम्बन्धी सवाल.जनरल भारतीय समाज, 28 (1&2): 80.

(2) मुछाल, एम.के. (2005). 21वीं सदी में मानवाधिकार शिक्षा. जनरल भारतीय आधुनिक शिक्षा, 4, 37–44. ISSN 0972–5636

(3) पाण्डेय, रामशक्ल, एवं मिश्र, करूणाशंकर. (2005). मानवाधिकारी और मूल्य शिक्षणः मानवाधिकार और भारतीय संविधान. आगरा–2, विनोद पुस्तक मन्दिर।

(4) शर्मा, ए. (2004). मानवाधिकार और हिन्दुत्वः एक संकल्प उपागम. दिल्ली, ओयूपी।

(5) शुक्ल,ओ.पी.(2002). शिक्षा मनोविज्ञान.लखनऊ,यू.पी.: भारत प्रकाशन।